छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़,
शंकरनगर, रायपुर

<u>अपील क्रमांक 92/2006</u>

श्री भावीन जैन, ... अपीलार्थी
डी/6, आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण
संस्था, पचपेडी नाका,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. **जन सूचना अधिकारी,** . . . . . **प्रति अपीलार्थी**
   कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी
   संस्थाएँ, जी.ई.रोड, टेलीफोन
   एक्सचेंज के सामने,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. **अपील अधिकारी,** . . . . . **प्रति अपीलार्थी**
   कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएँ,
   तेलीबांधा,
   रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::

(19 मई 2006)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री भावीन जैन ने दिनांक 17–11–2005 को कुछ सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रतिअपीलार्थी क्रमांक–1 के समक्ष प्रस्तुत किया था। आवश्यक जानकारी न मिलने के कारण उन्होंने 10–01–2006 को प्रथम अपील प्रतिअपीलार्थी क्रमांक–2 के समक्ष प्रस्तुत किया और प्रथम अपील 15–02–2006 को निराकरण करना बताया, किन्तु कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया और उसके बाद भी अभी तक वांछित सूचनाएँ प्राप्त न होने तथा अनावश्यक सूचनाओं के लिए अधिक राशि वसूल करने और कुछ सूचना अपूर्ण देने के कारण आयोग के समक्ष द्वितीय अपील अपील दिनांक 08–03–2006 को प्रस्तुत की गई।

अपील के संबंध में उभय पक्ष की सुनवाई की गई और प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर पर विचार किया गया तथा प्रकरण व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। राशि नकद जमा न करने के लिए प्रतिअपीलार्थी ने यह बताया कि उसके कार्यालय में उस समय रसीद बुक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए चालान से जमा करने कहा गया। प्रारंभ में सभी कार्यालयों में लगभग यही स्थिति थी तथा इस संबंध में इनके उत्तर को स्वीकार किया जाता है। जहां तक राशि अतिरिक्त वसूल करने एवं अनावश्यक जानकारी देने का प्रश्न है प्रतिअपीलार्थी ने उत्तर में यह बताया है कि अधिकांश बिन्दुओं में आवेदक ने ऐसे समस्त आदेश, नोटशीट, पत्राचार आदि शब्दों के प्रयोग के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने और इसके कारण अतिरिक्त जानकारी देने की स्थिति बताया है। आवेदन को देखने से स्पष्ट है कि उसमें कुछ बिन्दुओं में ऐसे समस्त आदेश, रिकार्ड इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः इस आधार पर भी विभाग का तर्क मान्य करने योग्य है और इस संबंध में अपीलार्थी के द्वारा भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें कौन–सी अतिरिक्त जानकारी प्रदान की गई है। जहां तक अन्य संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने का जो निर्णय दिया गया है, उस संबंध में यह स्पष्ट है कि अन्य संस्थाएँ शासकीय नहीं है और वहां सूचना अधिकारी भी नियुक्त नहीं है। अतः विभाग का यह दायित्व बनता है कि उन संस्थाओं पर उनका नियंत्रण होने के कारण उनसे जानकारी प्राप्त करके आवेदक को उपलब्ध कराये। अतः यह निर्देश दिया जाता है कि जो जानकारी अन्य संस्थाओं से प्राप्त करनी है, वे उनसे प्राप्त करके आदेश के 15 दिनों के अंदर आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। प्रकरण में यह भी देखा गया कि प्रथम अपील में अपील अधिकारी ने लिखित आदेश पारित नहीं किया है। अतः भविष्य में अपील अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रथम अपील के संबंध में निर्धारित समयावधि में लिखित आदेश पारित करें। साथ ही प्रकरण में हुए विलम्ब और अपूर्ण जानकारी देने के कारण जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा–20(2) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु भी पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ को अनुशंसा करने का भी निर्देश दिया जाता है।

उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

पालक, मेथी, चौलाई, लौकी, परवल, टिण्डा, तुरई, भटा,

मूंगदाल, राहर दाल

चांवल दिन में

गेंहू की रोटी,

हरा धनियाँ, प्याज, अदरक, लहसून (तली या पकी हुई)

घी, तेल,

सेव, अनार

चाय, काफी